

विदेश मंत्रालय
(खाड़ी व हज प्रभाग)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) संख्या 480/ 2014 और अन्य में दिनांक 07.08.2014 के आदेश में निहित निर्देशों के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें विदेश मंत्रालय को 22 प्राइवेट टूर प्रचालकों (पीटीओ) के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित अधिनिर्णय में निहित निर्देशों के आधार पर मंत्रालय ने पुनः कथित पीटीओ के मामलों पर विचार किया और निम्नलिखित 9 पीटीओ को हज 2014-17 हेतु पंजीकरण के लिए पात्र पाया :

1. मैसर्स अल-अकरम हज टूर्स-सीएटी-I(86)
2. मैसर्स अल-मोहम्मदी हज टूर्स-सीएटी-II(212)
3. मैसर्स न्यू कालिकट हज ग्रुप-सीएटी-II(248)
4. मैसर्स इंटरनेशनल सिटी लिंक्स-सीएटी-II(120)
5. मैसर्स सलामत हज ग्रुप-सीएटी-I(42)
6. मैसर्स वाजको हज ग्रुप-सीएटी-I(33)
7. मैसर्स अहलन हज एण्ड उमराह सर्विस-सीएटी-I(273)
8. मैसर्स मुसाफिर टूर्स एण्ड ट्रेवल-सीएटी-II(452)
9. मैसर्स केरल इसलाम हज एण्ड उमराह सर्विस-सीएटी-I(37)

3. हज 2014 के लिए कोटे के आबंटन पर विचार करने के लिए उपरोक्त वर्णित पीटीओ से 28.04.2014 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के खण्ड (vii) और (x) में इंगित दस्तावेजों के अलावा सभी

दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है (इस संबंध में 07.05.2014 की प्रेस विज्ञप्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख किया गया था)। पीटीओ को दस्तावेजों के साथ रुपये 25 लाख की मियादी जमा रसीद (हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के पक्ष में 31 मार्च, 2015 तक वैध राष्ट्रीयकृत बैंक में मियादी जमा के रूप में) और प्रत्येक मामले में रुपये 5000/- का प्रक्रमण शुल्क जमा करना होगा। दस्तावेज हज प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, आईएसआईएल भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली में सोमवार, 11 अगस्त, 2014 को 12:00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए।

08 अगस्त, 2014